



कार्यालयमुख्यआयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटीएवंकेन्द्रीयउत्पादशुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.:GCCO/II/3/POST/25/2021-ADMN

कार्यालय आदेश सं. : 06/2025

दिनांक: 21.04.2025

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 29/2023 दिनांक 17.11.2023 को संशोधित करते हुए, श्री सुमित अग्रवाल, उप निदेशक (लागत) को अपर आयुक्त (सीसीओ) के पर्यवेक्षण में कार्य करने के निर्देश को निरस्त किया जाता है और उनको अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर के सामान्य पदानुक्रम (Hierarchy) का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उप निदेशक (लागत) की सेवाओं और विशेषज्ञता का उपयोग जयपुर ज़ोन के सभी क्षेत्रीय आयुक्तालय आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

यह आदेश मुख्य आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण, जयपुर/ अंकेक्षण, जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/ अपील्स, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जयपुर।
2. निदेशक (प्रशासन), कार्यालय सलाहकार लागत, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
3. श्री सुमित अग्रवाल, उप निदेशक (लागत)।
4. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।